

Mains Matrix

Table of Content

1. अटकी हुई विधायी प्रक्रिया पर न्यायिक प्रोत्साहन
2. शब्द और भावना
3. आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय की कठोर सच्चाई
4. मशीन की दया पर कल्याण

1. अटकी हुई विधायी प्रक्रिया के बाद न्यायिक प्रेरणा”

प्रसंग (Context)

- **मुद्दा:** राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में राज्यपाल की शक्तियाँ (अनुच्छेद 200)।
- **सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:** हाल ही में राज्यपाल (और राष्ट्रपति, अनुच्छेद 201 के तहत) के लिए 3 महीने की समय-सीमा तय की गई है, ताकि वे विधेयकों पर अंतिम निर्णय लें।

अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विकल्प

1. विधेयक को सहमति देना।
2. सहमति रोकना (पूर्ण वीटो)।
3. विधेयक (यदि मनी बिल नहीं है) को पुनर्विचार हेतु लौटाना।
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।

न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents)

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):**
 - राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, व्यक्तिगत विवेक से नहीं (अपवादस्वरूप मामलों को छोड़कर)।
- **नाबाम रेबिया (2016):**

- राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, उन्हें संविधान और सहायता-सलाह सिद्धांत का पालन करना होगा।
- **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2025):**
 - न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा पूर्ण विवेकाधिकार से सहमति रोकने के विचार को अस्वीकार किया।

राज्यपाल के विवेक का मुद्दा

- स्रोत: भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 75, जिसे अनुच्छेद 200 में लगभग यथावत दोहराया गया है।
- संविधान-निर्माताओं का आशय था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें।
- समस्या: कई बार राज्यपाल विधेयकों पर वर्षों तक न तो सहमति देते हैं और न अस्वीकार करते हैं → इससे विधायी गतिरोध उत्पन्न होता है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

- 3 महीने की समय-सीमा तय करके न्यायालय ने:
 - विधायी प्रक्रिया को सुगम बनाया।
 - राज्यपालों को अनिश्चितकाल तक विधेयक लंबित रखने से रोका।
- न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि राज्यपाल स्वतंत्र प्राधिकारी नहीं हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं।

निहितार्थ (Implications)

- **संघवाद (Federalism):**
 - केंद्र द्वारा राज्यपाल के पद का दुरुपयोग निर्वाचित राज्य सरकारों को कमजोर करता है।
- **विधायी प्रक्रिया:**
 - देरी से राज्य विधानमंडल निराश होते हैं और संवैधानिक भावना का उल्लंघन होता है।
- **न्यायिक नवाचार:**
 - संविधान में समय-सीमा का उल्लेख न होने पर भी न्यायालय ने संवैधानिक शून्य को भरा।

तुलनात्मक दृष्टिकोण (Comparative Perspective)

- **यूके:** सम्राट के पास कोई विवेकाधिकार नहीं, उसे सरकार की सलाह पर ही कार्य करना होता है।

- **भारत:** राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, निर्वाचित नहीं → अतः राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना अधिक।

मुख्य कथन / विचार

- न्यायालय: राज्यपाल को केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करना होगा।
- विधेयकों पर कार्रवाई में देरी “विधायी प्रक्रिया को कमजोर करती है।”

आगे की राह (Way Forward)

- **संस्थागत स्पष्टता:**
 - संविधान में राज्यपाल की सहमति हेतु समय-सीमा को विधिवत शामिल किया जाए।
- **राजनीतिक नैतिकता:**
 - केंद्र को राज्यपालों का उपयोग राज्य विधायिका को रोकने के लिए नहीं करना चाहिए।
- **न्यायिक निगरानी:**
 - यदि राज्यपाल देरी जारी रखते हैं, तो न्यायालय को हस्तक्षेप जारी रखना पड़ सकता है।

How to use

जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय)

यह मुद्दा भारतीय संघवाद, संवैधानिक पदाधिकारियों और शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्संबंध पर स्थित है, जो इसे एक आदर्श जीएस पेपर II विषय बनाता है।

1. भारतीय संविधान — ऐतिहासिक आधार, विकास और विशेषताएँ:

- **कैसे उपयोग करें:** केवल उत्पत्ति बताने के बजाय इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें।
 - **राज्यपाल की शक्तियाँ** सीधे भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई हैं, जहाँ राज्यपाल ब्रिटिश ताज का एजेंट था, जिसे औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अधिरोही विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।
 - **निरंतरता और परिवर्तन:** भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस ढाँचे को अपनाया, लेकिन उनका इरादा भूमिका में आमूल परिवर्तन का था — एक साम्राज्यवादी एजेंट से एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता

है। यह लगातार बना तनाव इस अनसुलझी द्वंद्ववात्मकता से उत्पन्न होता है: एक लोकतांत्रिक संरचना में औपनिवेशिक युग के प्रावधान।

- यह ऐतिहासिक बोझ समझाता है कि यह पद दुरुपयोग के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है और केंद्र-राज्य संबंधों में एक घर्षण बिंदु बन जाता है।

2. कार्यपालिका की संरचना, संगठन और क functioning:

- **कैसे उपयोग करें (सुधरा हुआ):** विकल्पों की सूची देने के बजाय संवैधानिक दर्शन का विश्लेषण करें।
 - **राज्यपाल की भूमिका (अनुच्छेद 200):** चार विकल्पों को समान विकल्पों के रूप में नहीं, बल्कि सहायता और सलाह के सिद्धांत की व्यापक बाधा के भीतर देखें। सहमति रोकना या विधेयक पर कोई कार्रवाई न करना कोई व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है; यह एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
 - **सहायता और सलाह का सिद्धांत:** मामलों का अधिक शक्तिशाली ढंग से उपयोग करें।
 - **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** स्थापित किया कि राष्ट्रपति/राज्यपाल एक औपचारिक, संवैधानिक प्रमुख है जो कुछ अपवादों को छोड़कर केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही शक्तियों का प्रयोग करता है।
 - **नबाम रेबिया (2016):** पुष्टि की कि विवेकाधीन शक्ति अपवाद है, नियम नहीं, और इसे संवैधानिक ढाँचे के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
 - **मूल संघर्ष:** मुद्दा केवल शक्ति का नहीं बल्कि राजनीतिक तटस्थता का है। राज्यपाल एक मनोनीत राज्य प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री एक निर्वाचित सरकार प्रमुख है। पहले का दुरुपयोग करके बाद के को कमजोर करना प्रतिनिधिक लोकतंत्र और जनादेश के मूल सिद्धांत पर प्रहार करता है।

3. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएँ:

- **कैसे उपयोग करें:** न्यायिक हस्तक्षेप को राज्य के अंगों के बीच एक "संरचनात्मक संवाद" के रूप में पुनर्परिभाषित करें।
 - **न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण:**
 - **समर्थन में (सक्रियता):** सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के संरक्षक (अनुच्छेद 142) के रूप में, एक "संवैधानिक शून्यता" या "विधायी अंतर" को दूर करने के लिए आगे आया। 3-माह की समयसीमा निर्धारित करके, इसने कार्यपालिका (राज्यपाल) द्वारा विधायिका की इच्छा को विफल करने से रोकने के लिए एक सुधारात्मक कार्य किया, जिससे संविधान के आधारभूत ढाँचे (लोकतंत्र और संघवाद) की रक्षा हुई।
 - **विरोध में (अतिक्रमण — आलोचना के लिए):** एक कठोर निर्माणवादी दृष्टिकोण यह तर्क दे सकता है कि संविधान ने जानबूझकर इस शक्ति को राज्यपाल को बिना किसी समयसीमा के सौंपा था, और न्यायपालिका बैच से विधायी कार्य कर रही है, जो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है।
 - **मध्यम मार्ग (नवाचार):** न्यायालय का कदम "न्यायिक नवाचार" के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है — संवैधानिक योजना को कार्यान्वयनीय बनाने के लिए एक व्यावहारिक, सिद्धांत-आधारित व्याख्या। यह एक अंग को उसका कर्तव्य निभाने के लिए एक संकेत है ताकि दूसरा अंग प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

4. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की योजनाओं से तुलना:

- **कैसे उपयोग करें:** भारत की unique चुनौती को उजागर करने के लिए तुलना का उपयोग करें।
 - **UK की समानता:** भारतीय राज्यपाल संवैधानिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के अनुरूप है। UK में, royal assent (शाही स्वीकृति) की परंपरा इतनी मजबूत है कि सम्राट द्वारा इनकार करना राजनीतिक रूप से अकल्पनीय है और 1708 के बाद से इसका उपयोग नहीं हुआ है। यह एक पूरी तरह से औपचारिक, ceremonial act है।
 - **भारतीय वास्तविकता:** भारत में, स्वचालित स्वीकृति की परंपरा इसके संघीय राजनीति की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और राज्यपालों के रूप में सक्रिय राजनेताओं की नियुक्ति की प्रथा

के कारण जड़ नहीं जमा पाई है। इसने एक संवैधानिक पद के राजनीतिकरण को जन्म दिया है।

- **तुलना से निष्कर्ष:** भारतीय प्रणाली में ब्रिटिश मॉडल का रूप तो है लेकिन उन conventions का अभाव है जो इसे सुचारु रूप से काम करने में सक्षम बनाती हैं। इसके लिए न्यायिक या विधायी सुधार आवश्यक है।

2. अक्षर और भावना

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वक्फ अधिनियम प्रावधानों पर रोक लगाने और उन्हें बनाए रखने का अच्छा काम किया

संदर्भ

- **निर्णय की तारीख:** 15 सितंबर, 2025
- **मामला:** वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती, जिसने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया।
- **मुद्दा:** भारत भर में मुस्लिम धार्मिक अंशदानों (वक्फ संपत्तियों) का विनियमन।

सरकार का रुख

- संशोधन आवश्यक थे:
 - पूर्व वक्फ अधिनियम के तहत कथित दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए।
 - बड़े भूमि होल्डिंग्स के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।

आलोचकों का रुख

- मुस्लिम समुदाय के मामलों में मनमाना हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।
- धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप।
- विपक्षी दलों (कांग्रेस सहित) ने भी प्रावधानों का विरोध किया।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- संतुलित दृष्टिकोण:
 - संवैधानिक आधारों पर पूरे अधिनियम को रद्द नहीं किया।
 - कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई, अन्य को वैध ठहराया।

मुख्य बिंदु जो बरकरार रखे गए / स्पष्ट किए गए

1. वक्फ बोर्डों में मुस्लिम-केवल सदस्यता आवश्यकता बरकरार रखी गई।

- वक्फ बोर्डों के सीईओ अधिमानतः मुस्लिम होने चाहिए।
- 2. गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित किया गया:
 - केंद्रीय वक्फ परिषद → अधिकतम 4 सदस्य।
 - राज्य वक्फ बोर्ड → अधिकतम 7 सदस्य (पहले 12 से कम)।
- 3. जिला कलेक्टरों की संपत्ति विवादों का निपटारा करने की शक्तियाँ बरकरार रखी गईं।
- 4. कट-ऑफ तिथि: 8 अप्रैल, 2025 तक पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ संरक्षित रहेंगी।
- 5. संरक्षित स्मारकों और आदिवासी भूमियों पर वक्फ दावों पर प्रतिबंध संवैधानिक ठहराए गए।

न्यायालय का तर्क

- धार्मिक अंत्रदान स्वायत्तता की रक्षा करते हुए राज्य विनियमन की वैधता को मान्यता दी।
- राजनीतिक या सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिए "स्वायत्तता" दावों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी।
- समुदाय के अधिकारों और जनहित के बीच संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत की पुष्टि की।

व्यापक प्रभाव

- स्वायत्तता बनाम विनियमन:
 - स्वायत्तता भ्रष्टाचार या सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के लिए एक आवरण नहीं बन सकती।
- राज्य की भूमिका:
 - राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिकारों की रक्षा करे और धार्मिक प्रावधानों के दुरुपयोग को रोके।
- पक्षपातपूर्ण राजनीति:
 - अत्यधिक धुवीकरण लोकतंत्र को अवैध ठहराता है।
 - संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति और संसदीय बहस की आवश्यकता है।

How to use

जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय) के लिए उपयोग कैसे करें

यह मामला एक क्लासिक जीएस पेपर II विषय है, जिसमें मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और राज्य की भूमिका शामिल है।

1. भारतीय संविधान — मौलिक अधिकार:

- कैसे उपयोग करें: यह मामला अनुच्छेद 25, 26 और 31 का सीधा अनुप्रयोग है।
 - अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता): आलोचकों ने तर्क दिया कि संशोधन ने मुसलमानों के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन किया। न्यायालय को इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के विनियमन की शक्ति के बीच संतुलन बनाना था।

- **अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार):** यह मुख्य अनुच्छेद है। यह धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और चारिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है और धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। मुख्य प्रश्न था: क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राज्य विनियमन इस अधिकार का उल्लंघन है?
- **न्यायालय का संतुलन कार्य:** निर्णय दर्शाता है कि अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया कि "पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकना" वैध राज्य हित के दायरे में आते हैं, इस प्रकार अधिकांश विनियामक प्रावधानों को बरकरार रखा।

2. धर्मनिरपेक्षता:

- **कैसे उपयोग करें:** यह मामला चर्च और राज्य के पूर्ण पृथक्करण के पश्चिमी मॉडल के विपरीत भारतीय मॉडल की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता (सिद्धांतिक दूरी) का एक आदर्श उदाहरण है।
 - भारतीय राज्य केवल स्वयं को धर्म से दूर नहीं करता; यह सामाजिक कल्याण और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रथाओं में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। (उदाहरण: हिंदू कोड बिल, तीन तलाक पर प्रतिबंध)।
 - यहाँ, राज्य ने तर्क दिया कि वह धर्म को दबाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक अंत्रदान (वक्फ) को कुप्रबंधन से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके लाभ वास्तव में समुदाय की सेवा करें। इस हस्तक्षेप की न्यायालय की मंजूरी इस अद्वितीय भारतीय धर्मनिरपेक्ष आदर्श को मजबूत करती है।

3. शासन और पारदर्शिता:

- **कैसे उपयोग करें:** सरकार का रुख सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित था।
 - संशोधनों का उद्देश्य विशाल वक्फ संपत्तियों (भारत में सबसे बड़े भूमि धारकों में से एक) के प्रबंधन में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
 - आप इसका उपयोग यह चर्चा करने के लिए कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विनियामक निकायों को अक्सर निगरानी की आवश्यकता होती है और स्वायत्तता का मतलब जवाबदेही की कमी नहीं हो सकता।

जीएस पेपर I (भारतीय समाज) के लिए उपयोग कैसे करें

जीएस पेपर I: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

- **कैसे उपयोग करें:** यह मामला भारत में विविधता के प्रबंधन को उजागर करता है।
 - यह एक विविध समाज के शासन की चुनौती को दर्शाता है जहां विशिष्ट समुदायों के पास व्यक्तिगत कानून और स्वायत्त संस्थान हैं।

- इसका उपयोग अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर सामाजिक परिवर्तन और सुधार के एक साधन के रूप में कानून की भूमिका पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है, जो स्वतंत्रता के बाद से एक सुसंगत विषय रहा है।

3. जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय (Out-of-Pocket Health Expenditure) की सच्चाई

संदर्भ (Context)

- भारत में जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय (OOPE) ही स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत है।
- मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था के अभाव में परिवार या तो:
 - अपनी बचत निकालते हैं/संपत्ति बेचते हैं/ऋण लेते हैं, या
 - इलाज ही छोड़ देते हैं और आगे बीमार होने का जोखिम उठाते हैं।
- यह गरीबी और बीमारी का दुष्चक्र (vicious cycle) पैदा करता है।

प्रमुख संस्थाएँ और आँकड़ा स्रोत (Key Institutions & Data Sources)

1. National Health Accounts (NHA)

- परिवारों के व्यय और सरकार के समर्थन का ट्रैक रखता है।
- GDP और कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।
- NHA 2018 (2017-18 का राउंड) ने OOPE हिस्सेदारी में तेज गिरावट दिखाई।

2. National Sample Surveys (NSS)

- परिवार आधारित स्वास्थ्य व्यय सर्वे।
- तुलना और सत्यापन हेतु उपयोगी।

3. अन्य स्रोत

- National Health Surveys (NHS)
- निजी डेटाबेस (जैसे CMIE)
- Longitudinal Aging Survey of India
- Consumer Pyramids Household Survey

NHA से निष्कर्ष (Findings from NHA)

- **OOPE का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा:**
 - 2017-18 में तेज गिरावट (चार्ट 1)।
 - 2021-22 में 39.4% तक और कमी।
- **OOPE (पूर्ण आँकड़ों में):**
 - 2017-18 में तेज गिरावट, फिर धीरे-धीरे सुधार।
 - लेकिन CMIE डेटा निरंतर वृद्धि दिखाता है → NHA ट्रेंड अवास्तविक लगता है (चार्ट 3)।
- **परिवारों का स्वास्थ्य उपभोग (Chart 4):**
 - NHA के अनुसार गिरावट।
 - NIA के अनुसार निरंतर वृद्धि।

NSS से निष्कर्ष (NSS Findings)

- **परिवार उपभोग में OOPE का हिस्सा:**
 - 1999-2000 में 5.05% → 2011-12 में 6.9%।
 - 2017-18 में हल्की गिरावट होकर 5.5% (चार्ट 2)।
- **संस्थानिक प्रसव और अस्पताल खर्चों में वृद्धि।**
- **COVID-19 ने कई जिलों में OOPE और बढ़ाया।**
- **OOPE का रुझान:**
 - NHA → गिरावट दिखाता है।
 - CMIE → वृद्धि दिखाता है।
- **परिवार स्वास्थ्य व्यय:**
 - NHA → गिरावट।
 - NIA → निरंतर वृद्धि।

NHA अनुमान की समस्याएँ (Problems with NHA Estimates)

- 2017-18 और COVID काल में OOPE की तेज गिरावट अन्य स्रोतों (NSS, CMIE) से मेल नहीं खाती।
- निजी स्वास्थ्य व्यय के उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज किया।

- परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करके आँका।
- आँकड़े अवास्तविक और संभवतः राजनीतिक रूप से प्रभावित प्रतीत होते हैं।

सही अनुमान क्यों ज़रूरी? (Why Accurate Estimates Matter)

- OOPe बोझ से तय होता है:
 - स्वास्थ्य वित्तपोषण नीतियाँ।
 - सार्वजनिक व्यय लक्ष्य।
 - कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय।
- गलत डेटा से परिवारों की असली वित्तीय कठिनाइयों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

आगे की राह (Way Forward)

- कई स्रोतों (NSS, CMIE, CPHS, बीमा रिकॉर्ड) का इस्तेमाल।
- क्रॉस-वेरीफाई करने की मज़बूत पद्धतियाँ विकसित हों।
- राष्ट्रीय खातों के लिए यथार्थवादी स्वास्थ्य नीति आँकड़े तैयार किए जाएँ।

UPSC Mains में उपयोग (How to use in UPSC Mains)

GS Paper II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice)

यह सीधा जुड़ा है — “Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health” के अंतर्गत।

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

- **कैसे उपयोग करें:** यह पूरा नोट सरकारी स्वास्थ्य नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए है।
- **मुख्य समस्या:**
 - आँकड़ों का प्रयोग करके दिखाएँ कि व्यवस्था वित्तीय जोखिम संरक्षण देने में विफल रही है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 का लक्ष्य था कि **OOPe को कुल स्वास्थ्य व्यय के 30% से नीचे लाया जाए**, लेकिन वास्तविकता अलग है।
- **योजनाएँ समाधान के रूप में:**
 - आयुष्मान भारत (PM-JAY) जैसी योजनाएँ बीमा के माध्यम से OOPe घटाने का प्रयास करती हैं।
 - लेकिन डेटा दर्शाता है कि इन योजनाओं के बावजूद OOPe अभी भी भारी बोझ बना हुआ है → कवरेज, पहुँच या जागरूकता की कमी।

- **डेटा इंटिग्रेटी की चुनौती:**

- NHA और NSS/CMIE के बीच विरोधाभास एक शासन (governance) समस्या है।
- नीति निर्माण गलत आँकड़ों पर आधारित होगा तो वह स्वयं त्रुटिपूर्ण होगी।

2. शासन के महत्वपूर्ण पहलू

- **कैसे उपयोग करें:** विभिन्न आँकड़ा स्रोतों (NHA बनाम NSS/CMIE) का विरोधाभास पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या दिखाता है।
- **पारदर्शिता:**
 - नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए सही आँकड़े चाहिए।
 - यदि आधिकारिक आँकड़े OOE को कम करके दिखाएँ, तो असली संकट छिप जाएगा।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:**
 - ठोस नीति के लिए ठोस आँकड़े आवश्यक हैं।
 - यदि NHA अनुमान राजनीतिक रूप से प्रभावित या कार्यप्रणालीगत रूप से दोषपूर्ण हैं, तो संसाधनों का गलत आवंटन होगा।
- **कैसे लिखें:** इसे भारत की स्वास्थ्य नीति ढाँचे (Health Policy Framework) के संदर्भ में चर्चा करें।

GS Paper III (Indian Economy)

यह मुद्दा मानव पूँजी, सार्वजनिक वित्त और समावेशी विकास की चर्चा के केंद्र में है।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का संकलन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे

- **कैसे उपयोग करें:** उच्च OOE के सीधे **मैक्रो-इकोनॉमिक परिणाम** हैं।
- **मानव पूँजी निर्माण:**
 - खराब स्वास्थ्य → कम उत्पादकता।
 - अधिक स्वास्थ्य व्यय → परिवार शिक्षा और कौशल विकास में निवेश नहीं कर पाते → दीर्घकालिक विकास बाधित।
- **गरीबी और असमानता:**
 - स्वास्थ्य खर्च से उत्पन्न विनाशकारी व्यय कई परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है।
 - यह असमानता को बढ़ाता है।

2. गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

- **कैसे उपयोग करें:** यह सीधा लिंक है।

- उच्च OoPE → गरीबी से बाहर निकलने की राह में बाधा।
- नोट से उदाहरण: परिवार “बचत निकालते हैं/संपत्ति बेचते हैं/उधार लेते हैं” → स्वास्थ्य झटके (health shocks) ऋण-जाल और गरीबी का कारण।

3. सार्वजनिक वित्त का अर्थशास्त्र (Economics of Public Finance)

- **कैसे उपयोग करें:** OoPE के आँकड़े भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण की स्थिति दर्शाते हैं।
- **समस्या:**
 - भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय परंपरागत रूप से बहुत कम (~1.6-2.5% GDP, जबकि वैश्विक औसत ~6%) रहा है।
 - इसलिए लागत का बड़ा बोझ परिवारों पर आता है।
- **NHA डेटा:**
 - अगर OoPE की गिरती हिस्सेदारी सही है, तो यह सार्वजनिक खर्च बढ़ने के कारण हो सकता है।
 - लेकिन अन्य स्रोतों (NSS, CMIE) से विरोधाभास इस दावे को चुनौती देता है।

4. मशीन की दया पर कल्याण

संदर्भ

- कर्ट वोनगुट के उपन्यास "प्लेयर पियानो" (1952) से प्रेरित, जो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ ऑटोमेशन मानव श्रम को विस्थापित कर देता है।
- भारत का कल्याण वितरण तेजी से डिजिटल गवर्नेंस टूल्स से प्रभावित हो रहा है → विशेष रूप से आंगनवाड़ियों में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (FRS)।

आंगनवाड़ी और आईसीडीएस की भूमिका

- आंगनवाड़ियों की स्थापना 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के तहत की गई।
- कार्य:
 - 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए घर ले जाने योग्य राशन (THR) प्रदान करना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार)।
 - प्रत्येक आंगनवाड़ी में कम से कम एक कार्यकर्ता (AWW) और एक सहायक होता है, जिसे स्थानीय स्तर पर भर्ती किया जाता है।
- भारत में लगभग **14.02 लाख आंगनवाड़ियाँ** हैं।

पोषण ट्रैकर का परिचय (2021)

- पोषण पहलों की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) को ऐप इंस्टॉल करना होता है, बच्चों के पोषण पर डेटा अपलोड करना होता है।
- नवीनतम जोड़: लाभार्थियों को सत्यापित करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (FRS)।

कल्याण वितरण में FRS से संबंधित चिंताएँ

1. तकनीकी बाधाएँ

- नियमित अपडेट की आवश्यकता → कई AWWs में क्षमता की कमी।
- FRS का उपयोग करने से पहले महिलाओं को ई-केवाईसी (आधार + ओटीपी सत्यापन) पूरा करना होगा।
- बायोमेट्रिक सत्यापन में त्रुटियाँ → बार-बार प्रयास, देरी।
- नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएँ देरी को बढ़ाती हैं।

2. पहुंच और समावेशन संबंधी मुद्दे

- लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों/महिलाओं की फोटो लेना अनिवार्य।
- बच्चे के चेहरे का सत्यापन → अक्सर अव्यावहारिक।
- उम्र बढ़ने, थके हुए चेहरे, या मामूली असमानताओं वाली महिलाओं का बहिष्कार।

3. AWWs पर अतिरिक्त बोझ

- AWWs लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, फिर भी तकनीकी सत्यापन का उपयोग करने के लिए मजबूर।
- बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा को संसाधित करने की क्षमता की कमी।
- तनावपूर्ण, समय लेने वाला और अलग करने वाला।

4. अधिकार और गरिमा संबंधी चिंताएँ

- गरीब महिलाओं और बच्चों को नागरिकों के बजाय संदिग्ध मानता है।
- सबसे कमजोर लोगों के लिए अनावश्यक अपमान और बाधाएँ पैदा करता है।
- मानवीयकरण की हानि और गरिमा का क्षरण।

घर ले जाने योग्य राशन (THR) में मौजूदा समस्याएँ

- राशन की अनियमित आपूर्ति।
- THR के लिए अद्यतन बजट नहीं (2018 से अपरिवर्तित)।
- अनुबंधों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भ्रष्टाचार।

- बड़ी वाणिज्यिक इकाइयों का वर्चस्व, भले ही SC ने स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के माध्यम से विकेंद्रीकरण का आदेश दिया (2004)।
- नकली गर्भावस्था/बच्चे के दावे मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा नहीं हैं।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

- अंतरराष्ट्रीय समानांतर: सैन फ्रांसिस्को (यूएसए) में गोपनीयता और दुरुपयोग की चिंताओं के कारण FRS पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- कल्याण का फोकस मशीन-सत्यापित व्यक्ति पर नहीं, बल्कि नागरिक की प्रामाणिकता पर होना चाहिए।
- कल्याण में FRS का उपयोग करने से कमजोर बच्चे और माताएँ "इंजीनियर के स्वर्ग" में परीक्षण का विषय बन सकते हैं।

आगे का रास्ता

- राशन फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- आंगनवाड़ी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सामुदायिक निगरानी का उपयोग करें।
- अत्यधिक तकनीकी नियंत्रण से अधिक गरिमा, स्वायत्तता और विश्वास को प्राथमिकता दें।
- दक्षता और मानव-केंद्रित शासन के बीच संतुलन बनाएँ।

UPSC Mains में उपयोग (How to Use in Mains)

GS Paper II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice)

यह इस विषय का मुख्य क्षेत्र है, विशेषकर “Welfare Schemes” और “Governance” के अंतर्गत।

1. विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, भूख) में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

- **कैसे उपयोग करें:** पूरा संदर्भ *एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)* योजना, जो एक प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम है, के इर्द-गिर्द है।
- इसे ऐसे योजनाओं के **कार्यान्वयन की आलोचनात्मक समीक्षा** के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- **नीति दृष्टिकोण में बदलाव:**
 - पहले मॉडल: समुदाय आधारित, विश्वास-आधारित (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से जानती थी)।
 - नया मॉडल: तकनीक-आधारित, निगरानी-प्रधान (सेवा वितरण हेतु Facial Recognition Software - FRS का उपयोग)।
- **पोषण ट्रैकर का मूल्यांकन:**
 - लाभ: पारदर्शिता, लीकेज रोकना।

- हानियाँ: बहिष्करण, तकनीकी बोझ, गरिमा का हास।
- यह नीति-उद्देश्य और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है।
- **संभावित प्रश्न:**
“हालाँकि तकनीक एक बड़ी सहायक हो सकती है, लेकिन कल्याणकारी सेवाओं में इसका प्रयोग मानव-केंद्रित होना चाहिए।” इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा आँगनवाड़ी सेवाओं में चेहरा पहचान तकनीक (FRS) के उपयोग के संदर्भ में कीजिए।

2. शासन के महत्वपूर्ण पहलू: पारदर्शिता और जवाबदेही

- **कैसे उपयोग करें:** यह केस सद्-शासन (Good Governance) और इसके सिद्धांतों पर चर्चा का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **नकारात्मक उदाहरण – FRS का उपयोग:**
 - **Participative:** समुदाय और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रमाणीकरण प्रक्रिया से बाहर कर देता है।
 - **Consensus Oriented:** मुख्य हितधारकों (महिलाएँ, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता) से सहमति बनाए बिना थोपा गया।
 - **Effective & Efficient:** तकनीकी गड़बड़ियों, नेटवर्क समस्याओं, देरी के कारण सेवा समय पर नहीं मिलती।
 - **Accountable:** तकनीकी असफलता का दोष लाभार्थी पर डालता है, प्रदाता पर नहीं।
- **पारदर्शिता बनाम निजता:**
 - इस उपकरण का प्रयोग पारदर्शिता (नकली दावों को रोकने) के नाम पर किया जा रहा है,
 - लेकिन यह नागरिकों की निजता और गरिमा पर गंभीर प्रश्न उठाता है।
- **संभावित प्रश्न:**
“शासन में उन्नत तकनीक का प्रवेश अपने-आप में सद्-शासन की गारंटी नहीं है।” प्रासंगिक उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

Secondary Relevance: GS Paper III (Technology, Internal Security, Disaster Management)

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी – विकास एवं उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव

- **कैसे उपयोग करें:** उभरती तकनीकों जैसे FRS की नैतिक चुनौतियों पर चर्चा करें।
- **डिजिटल विभाजन (Digital Divide):**
 - तकनीकी बाधाएँ और पहुँच की समस्याएँ डिजिटल विभाजन को गहरा करती हैं।

- सबसे कमजोर वर्ग (गरीब, महिलाएँ, बच्चे) अक्सर डिजिटल रूप से अशिक्षित होते हैं और सबसे अधिक बहिष्कृत होते हैं।
- **पक्षपात और त्रुटियाँ:**
 - FRS में महिलाओं, बच्चों और "झुकी/थकी विशेषताओं" वाले चेहरों पर त्रुटि दर अधिक होती है → गलत बहिष्करण।
 - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों की व्यापक समस्या है।
- **संभावित प्रश्न:**

“सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से जुड़ी मुख्य नैतिक चिंताएँ क्या हैं? शासन में AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक रूपरेखा सुझाइए।”

2. आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

- प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा से न जुड़ा होते हुए भी, FRS का उपयोग भारत की सबसे कमजोर आबादी (बच्चे और महिलाएँ) का **बायोमेट्रिक डेटाबेस** बनाता है।
- **चिंताएँ:**
 - **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** यह डेटा किसके पास है? कैसे संग्रहीत और संरक्षित है?
 - **फंक्शन क्रीप (Function Creep):** कल्याण के लिए इकट्ठा डेटा बिना सहमति के निगरानी या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो सकता है।
 - इससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे मजबूत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता रेखांकित होती है।

MENTORA IAS
“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”